अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रतना वगैरह बनाम भोला वगैरह ।
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम
अपील संख्या 25/2023 (अजमेर)

श्री शहाबुद्दीन खान एडवोकेट

रतना वगैरह बनाम भोला वगैरह (2023/25)

11.01.2023

यह अपील श्री शहाबुद्दीन खान एडवोकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 176/2022 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2023 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

12.01.2023

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्रों पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु रिजर्व रखी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

17.01.2023

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन न्यायालय में लगातार पेशियो पड़ रही है और आज तक न्याय नहीं मिलने से उक्त अपील प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 02.05.2022 की नकले आदि प्राप्त कर शीघ्र प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी अनपढ़ ग्रामीण किसान है जो कानून के तकनीकी ज्ञान से अनभिज्ञ है इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में पक्षा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर मेरिट पर आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित देरी के कारण संतोषजनक एवं सद्भाविक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में बताया कि वादी/अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रतना वगैरह बनाम भोला वगैरह ।
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम
अपील संख्या 25/2023 (अजमेर)

काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादी/अपीलांट की कृषि भूमि चौसाला जमाबंदी सम्वत 2019–2022 के अनुसार खसरा नम्बर 431, 434, 432, 435, 436, 437 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि ग्राम सेदरिया तहसील व जिला अजमेर के खातेदार नाथा वल्द भूरा की खातेदारी पुश्तैनी आराजी रही है तत्पश्चात भू–संशोधन के समय वादी/अपीलांट की खातेदारी भूमि को बिना आदेश के परिवर्तन कर अविधिक तरीके से प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 15 के नाम गलत अंकन दिया जो अन्तरण अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अन्तरिम स्थगन आदेश पारित नहीं कर, प्रकरण को लंबित कर रखा गया है। दिनांक 28.07.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई किये जाने का निवेदन किये जाने के पश्चात भी सुनवाई नहीं की जाकर पेशी दर पेशी दी जा रही है। राजस्व वाद के निस्तारण में लम्बा समय लगने की पूर्ण संभावना है, साक्ष्य, तकनीयात जबकि दावे में आज तक जवाबदावा नहीं दिया गया है जिस वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतिम निस्तारण कर मान्नीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी बाबत् रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये जाने न्यायहित में आवश्यकय है अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। चौसाला जमाबंदी सम्वत 2019–2022 एवं जमाबंदी चौसाला 2023–2026 के चौसाला जमाबंदी की खाता संख्या 37 के खसर नम्बर 431, 434, 432, 435, 436, 437 के खातेदार नाथा वल्द भूरा सह–खातेदार हिस्सेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि हाल भू–संशोधन में नये नम्बर बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने वादी/अपीलांट की भूमि को गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 15 के नाम दर्ज कर दी जिस कारण बेचान, हस्तातंरण करने पर आमादा है जिससे विभिन्न प्रकार की मुकद्दमेबाजी बढेगी। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 02.05.2022 से आज दिनांक तक निस्तारण नहीं किया है,प्रकरण को बिना विधिक कार्यवाही के विचाराधीन रखा गया है, जो विधि सम्मत नही हैं क्योंकि चौसाला जमाबंदी सम्वत 2019–2022 एवं जमाबंदी चौसाला 2023–2026 के चौसाला जमाबंदी की खाता संख्या 37 के खसर नम्बर 431, 434, 432, 435, 436, 437 के खातेदार नाथा वल्द भूरा की पुश्तैनी खातेदारी भूमि रही है। उक्त भूमि अपीलांट के 1/5 हिस्सा निहित है। प्रकरण लंबित रहने से तथा प्रकरण का निस्तारण नहीं होने से अपूर्णीय क्षति प्रार्थी/अपीलांट को होती है। मान्नीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है जैसा कि 2016 आर.बी.जे. पेज 360, 2016 आर.बी.जे.पेज 468, 2019 आर.वी.जे. पेज 129 आदि पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। चुँकि प्रकरण का अंतिम निस्तारण तो उपखण्ड अधिकारी,अजमेर के द्वारा किया जाना है इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रतना वगैरह बनाम भोला वगैरह ।
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम
अपील संख्या 25/2023 (अजमेर)

का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें, तक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संख्या 33/2021 बउनवान रतना बनाम भोला वगैरह में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 431, 434, 432, 435, 436, 437 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि ग्राम सेदरिया तहसील व जिला अजमेर के 1/5 हिस्से तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे। प्रार्थी/अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि शेष अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से पेश करने हेतु पाबंद किया जाता है। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अजमेर के समक्ष दिनांक 06.02.2023 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner